

23/11/22

(बि)
(बाबक)

दिप-बले
A.

पत्रावली पेश हुई क्वीस पार्टी की हितेष-चौकीला ने
पार्थना पत्र प्राप्त कर निवेदन किया कि पार्टी इस पत्र
में सारे कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा पत्र को आगे यमाना
नहीं चाहते हैं। एवं पत्र विधायक करना चाहते हैं।

धनतः पार्थना पत्र अन्तर्गत भारत 14 सप्टेम्बर एक्ट
2002 के तहत प्राप्त इस पत्र को विधायक की अनुमति
दी जाती है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं
होने से पत्रावली फ़ैदास शुक्रा एकर 5/10/2022 है।

(X)



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)